न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, नागौर।

पीठासीन अधिकारी : विक्रम साँखला, R.J.S. (D.J.Cadre)
दीवानी मूल प्रकरण संख्या : 11/2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रामेश्वरलाल		घनश्याम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 151 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961

उपस्थिति :–

1–श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2–श्री रामेश्वरलाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक :– 06.01.2026**

1– इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से दावे व टीआई में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 151 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी की ओर से उपरोक्त वाद विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2015 तथा दिनांक 31.12.2024 को मनसुख/रद्द घोषित करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत करते हुये स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। उक्त बेचाननामे ग्राम गोगेलाव के राजस्व क्षेत्र में स्थित राजस्व भूमि खेत खसरा नम्बर 1253/536, 1255/537 व 1255/620 के संबंध में बेचाननामों को रद्द घोषित करने के संबंध में अनुतोष चाहा गया है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई है। वादी की ओर से चाहे गये अनुतोष के संबंध में वाद का मूल्यांकन 6,00,000/– रूपये करते हुये धारा 24बी के तहत आधे मूल्य 3,00,000/– रूपये पर न्यायशुल्क पेश किया गया है जबकि वादी की ओर से वाद में दस्तावेजात को रद्द करने के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। अतः उसे राजस्थान न्याय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 38 के तहत वाद का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है जो वादी की ओर से तय नहीं किया गया है। साथ ही बेचाननामा दिनांक 31.12.2024 में बेचान प्रतिफल की राशि 15,00,000/– रूपये उल्लेखित की गई है। वादी ने उपरोक्त बेचाननामें को अन्य

बेचाननामों के साथ रद्द घोषित करने का अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में धारा 38 राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायशुल्क 38,100/– रूपये पेश करना आवश्यक होता है। चूंकि वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वादी का दावा न्यायशुल्क के अभाव में पोषणीय नहीं है।

3– धारा 11 राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 के अन्तर्गत न्यायालय शुल्क एवं अधिकारिता का निर्धारण वाद की प्रगति से पूर्व किया जाना आवश्यक है और आदेश 7 नियम 11ख सीपीसी के अनुसार पर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं करने पर वाद को नामन्जूर किया जा सकता है। वादी ने अपना दावा पर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये वादी का यह दावा आदेश 7 नियम 11ख सीपीसी के तहत नामन्जूर किया जावे।

4– इसके अतिरिक्त प्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी का दावा नामन्जूर किये जाने के संबंध में यह कथन भी किये हैं कि वादी की ओर से बेचाननामा दिनांक 20.11.2015 को निरस्त घोषित किये जाने के संबंध में अनुतोष चाहा है। उक्त बेचान की जानकारी वादी के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों तथा वाद हेतुक के पैरा संख्या 12 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 को पुलिस थाना नागौर में सीआर नम्बर 10/2017 कार्यवाही किये जाने के दौरान पश्चात दिनांक 09.10.2017 को लिखापढ़ी करवाने के दौरान हो चुकी थी तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी दस्तावेज की जानकारी के पश्चात तीन वर्ष के पश्चात सक्षम न्यायालय में चुनौति दिये जाने हेतु अथवा दस्तावेज को निरस्त करने हेतु वाद पेश किया जा सकता है। स्वयं वादी के कथनानुसार वादी को दिनांक 20.11.2015 की जानकारी वर्ष 2017 में हो चुकी थी इस कारण वादी को 8 वर्ष के पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का वाद मियांद बाहर है, जो खारिज फरमाया जावे। साथ ही यह कथन किया गया है कि वादी का दावा कृषि भूमि से संबंधित है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत यह दावा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है और उक्त आधारों पर वादी का दावा नामन्जूर किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी/प्रतिवादी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1) **2014(2) CIVIL COURT CASES 041(DELHI)**

S. Manjinder Singh Vs Krishna Bhat & Ors.

2) **2006(2) CDR 1579 (Raj.)**

   Mokham Chand Dasot & Anr. Vs. Distt. & Sessions Judge No. 3, Jaipur City, Jaipur

3) **2013(4) CIVIL COURT CASES 442 (ALLAHABAD)**

   Maqbool Ahmad Khan Vs Smt. Bhama Devi

4) **2014(3) CIVIL COURT CASES 803 (DELHI)**

   Sushil Jain Vs Ritu Jain & Ors.

5) **2014(4) CIVIL COURT CASES 138 (DELHI)**

   M/s Spearhead Digital Studio Pvt. Ltd. Vs H.K. Mitroo

5— उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी द्वारा देते हुये निवेदन किया गया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2024 को वादी के हिस्से तक रद्द घोषित करने तथा विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 को निरस्त करने के संबंध में वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावे का सही मूल्यांकन 6,00,000/— रूपये किया है तथा धारा 24बी राजस्थान न्यायालय शुल्क के प्रावधानों के अनुसार ही पर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है। दिनांक 20.11.2015 के विक्रय पत्र में उक्त भूमि की मालियत 4,00,000/— रूपये निर्धारित की गई है। विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2024 में वादी के 1/4 हिस्से को सम्मिलित करते हुये विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। वादी ने एक चौथाई हिस्से की हद तक विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2024 को निरस्त करने के संबंध में वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी ने कथन किया है कि वादी ने अपना दावा अन्दर मियांद प्रस्तुत किया है और वादी का दावा अन्दर मियांद है या नहीं यह प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो इस स्तर पर निर्णित नहीं हो सकता। अतः मियांद के आधार पर भी वादी का दावा नामन्जूर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने दावे में जो अनुतोष चाहा गया है वह अनुतोष केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को शून्यकरणीय दस्तावेजों को शून्य घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में देरी करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में वादी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये—

1) **{Citation - 2022(3) CJ(Civ) (Raj.) 2047}**

Harnek Singh Josan Vs. Shweta Singh S.B. Civil Revision Petition No. 94 of 2022 decided on 31st Aug. 2022

2) **{Citation - 2021(2) CJ(Civ) (Raj.) 507}**

Jeevan Ram Vs. LR's. of Joraram & Ors. S.B. Civil Revision Petition No. 36 of 2020, decided on 29th Jan., 2021

3) **{Citation - 2018(2) DNJ (Raj.) 681}**

Chainaram Bhat Vs. Smt. Shanti Bhat & Ors.

S.B. Civil Revision No. 67 of 2018, decided on 7.5.2018

4) **{Citation - 2020(2) CJ(Civ) (SC) 362}**

Shakti Bhog Food Industries Ltd. Vs. Central Bank of India & Anr. Civil Appeal Nos. 2514 & 2515 of 2020, decided on 5th June, 2020

6— बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये वादी का वाद नामन्जूर किये जाने का निवेदन किया।

7— अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्रों की पुनरावृति करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी ने केवल प्रकरण में देरी करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा सही रूप से मूल्यांकन कर दावा प्रस्तुत किया गया है। दावा अन्दर मियांद है तथा इसी न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थी—प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

8— सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी—प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11, 151 सीपीसी तथा सपठित धारा 11 राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के तहत नामन्जूर करने का जो प्रथम आधार लिया है वह यह लिया है कि वादी ने अपने दावे में विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 तथा दिनांक 31.12.2024 को रद्द करने के लिये दावा प्रस्तुत किया है और विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2024 में विक्रय प्रतिफल की राशि 15,00,000/— रूपये इस राशि के अनुसार धारा 38 वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 के अनुसार न्यायशुल्क वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादी का दावा नामन्जूर किये जाने का निवेदन किया।

9— न्यायालय का विनम्र मत है कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय केवल दावे का अवलोकन किया जाना है, प्रतिवादी के बचाव

का अवलोकन नहीं किया जाना है।

10— माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2022(4) Civil Court Cases 132 (S.C.) H.S Deekshit & Arn. Vs M/s Metropoli Overseas Ltd. & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "It is well–settled that while considering an application under Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint alone are to be examined and no other extraneous factor can be taken into consideration."

11— यह निर्विवादित स्थिति है कि बेचाननामा दिनांक 20.11.2015 एवं 31.12.2024 जिसकी प्रतियां दावे के साथ संलग्न है, का वादी पक्षकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत सुहृद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह एवं अन्य एआईआर 2010 एस.सी. 2807 में यह स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित दर्शित किया है कि यदि वादी किसी दस्तावेज में पक्षकार है तो उस दस्तावेज को रद्द कराने के लिये वादी को दावा दायर करना होगा। लेकिन यदि वादी उसी दस्तावेज का पक्षकार नहीं हो तो उसे रद्द कराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वह उसे उक्त विलेख को शून्य घोषित कराये जाने की, अविधिक घोषित कराये जाने की घोषणा का दावा लाना होगा। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित स्थिति है कि वादी अपने दावे में विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 तथा 31.12.2024 को निरस्त कराये जाने की घोषणा हेतु दावा लेकर आया है और इसी बाबत उसने अपने दावे की मद संख्या 16(3) में घोषणा का अनुतोष चाहा है। यह भी निर्विवादित स्थिति है कि वादी उक्त दोनो विक्रय पत्रों दिनांक 20.11.2015 व 31.12.2024 का पक्षकार नहीं है। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकार में वादी के उक्त दस्तावेजों को निरस्त कराये जाने के लिये दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि शून्य व अविधिक घोषित कराये जाने की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत करने पर राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 24 के अनुसार दावे का मूल्यांकन कर कोर्ट फीस प्रस्तुत की जानी है। वादी को अपने दावे में धारा 38 राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के तहत कोर्ट फीस प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो ऐसा इस स्तर पर दृष्टिगत नहीं होता है।

12— इसके अतिरिक्त प्रतिवादी का यह कथन है कि 15,00,000/— रूपये के

बाजार मूल्य पर वादी को न्याय शुल्क प्रस्तुत करना था क्योंकि विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2024 में विक्रय प्रतिफल की राशि 15,00,000/– रूपये अंकित है। इस संबंध में वादी का यह कथन है कि दिनांक 31.12.2024 का विक्रय पत्र उसकी 1/4 भूमि को सम्मिलित करते हुये निष्पादित किया गया है। दिनांक 31.12.2024 के विक्रय पत्र में जो विक्रय प्रतिफल की राशि है वह विक्रय प्रतिफल की राशि पूर्णरूप से विवादित भूमि उसके 1/4 हिस्से की हद तक नहीं है बल्कि उसके 1/4 हिस्से को शामिल करते हुये अन्य भूमि का जो बेचान किया गया है उसके पेटे विक्रय प्रतिफल की राशि 15,00,000/– रूपये अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.11.2015 के विक्रय पत्र में उसके 1/4 हिस्से की कीमत 4,00,000/– रूपये अंकित की गई है जबकि वादी ने दावे अपने 1/4 हिस्से की मालियत 6,00,000/– रूपये अंकित करते हुये पर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है।

13– इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि विक्रय पत्र दिनांक 20.11. 2015 जो वादी के 1/4 हिस्से की विवादित भूमि के संबंध में है, में विक्रय प्रतिफल की राशि 4,00,000/– रूपये अंकित है। इसी हिस्से को सम्मिलित करते हुये प्रतिवादी संख्या 3 रामगोपाल द्वारा जो बेचाननामा दिनांक 31.12.2024 किया गया है वह प्रतिफल राशि वादी के 1/4 हिस्से के संबंध में नहीं है बल्कि उसके हिस्से को सम्मिलित करते हुये शेष अन्य भूमि को शाामिल करते हुये किये गये विक्रय प्रतिफल की राशि है। वादी ने दावा अपने 1/4 हिस्से की भूमि के संबंध में किये गये बेचाननामों दिनांक 20.11.2015 व दिनांक 31.12.2024 को शून्य घोषित कराये जाने के संबंध में दावा प्रस्तुत किया है और वादी ने अपने दावे की मद संख्या 14 में स्पष्ट रूप से दावे का मूल्यांकन 6,00,000/– रूपये करते हुये धारा 24(बी) राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के तहत पर्याप्त न्यायशुल्क पर दावा प्रस्तुत किया जाना इस स्तर पर दृष्टिगत होता है। इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि वादी ने दावे का कम मूल्यांकन कर कम न्याय शुल्क पर दावा प्रस्तुत किया हो। अतः इस स्तर वादी का दावा इस आधार पर नामन्जूर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14– प्रतिवादीगण ने वादी का दावा नामन्जूर किये जाने का एक अन्य आधार यह लिया है कि वादी को बेचाननामा दिनांक 20.11.2015 की जानकारी वर्ष 2017 में हो चुकी थी और वादी द्वारा 8 वर्ष के पश्चात यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

15— इस संबंध में वादी के दावे का यदि अवलोकन करे तो वादी ने अपने दावे की मद संख्या 10 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने दिनांक 22.08.2015 की तिथी की वादी के फर्जी हस्ताक्षरों से फर्जी आममुख्त्यारनामा तैयार किया व उक्त फर्जी मुख्तयारनामें के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 का विक्रय पत्र निष्पादित किया जिस संबंध में वादी को जानकारी होने पर वादी ने पुलिस थाना नागौर में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जहां पर वादी के तीनों पुत्रों ने इस बात की अभिस्वीकृति दी कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर तैयार किया गया विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा और इस पॉवर ऑफ अटॉर्नी व विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 की भूमि एकमात्र वादी के स्वामित्व की होने एवं इस भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 के क्रेतागण का कोई हक अधिकार नहीं होने का कथन कर पुलिस थाना नागौर की पत्रावली में राजीनामा पेश किया तथा दिनांक 09.10.2017 के तहत वादी के हक में तीनों पुत्रों द्व ारा लिखापढ़ी कर इस भूमि पर अपना कोई हक—अधिकार नहीं होना मानकर वादी के हक में लिखापढ़ी की लेकिन वादी के तीनों पुत्रों की नियत खराब हो गई और उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 21.01.2021 के तहत इस विवादित भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया और उसके पश्चात दिनांक 31.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त विक्रय पत्र की नकल दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होने के पश्चात अन्दर मियांद वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है। वादपत्र में अंकित उक्त तथ्यों व वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह नहीं माना जा सकता कि वादी का दावा मियांद बाधित हो। वादी ने उक्त दावा अन्दर मियांद प्रस्तुत किया है अथवा मियांद बाहर यह तथ्य निश्चित रूप से तथ्यों व साक्ष्य का मोहताज है जिसके संबंध में उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरांत ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस स्तर पर वादी के दावे का अवलोकन करने से यह दृष्टिगत नहीं होता है कि वादी का दावा मियांद बाहर हो और इस आधार वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 के तहत नामन्जूर किये जाने लायक हो।

16— इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नामन्जूर करने का एक आधार यह लिया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से बाधित है और इस न्यायालय का

क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है। इस संबंध में वादी ने कथन किया है कि वादी शून्यकरणीय विक्रय अभिलेखों दिनांक 20.11.2015 और 31.12.2024 को शून्य एवं अविधिक घोषित कराये जाने हेतु घोषणा का दावा लेकर आया है और उक्त विक्रय विलेखों को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है।

17— इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि यह सही है कि विक्रय विलेख दिनांक 20.11.2015 और 31.12.2024 कृषि भूमि के संबंध में है और उक्त शून्यकरणीय विक्रय अभिलेखों को शून्य घोषित कराये जाने हेतु वादी यह दावा लेकर आया है। निश्चित रूप से उक्त विक्रय अभिलेखों को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार किसी भी दृष्टि से राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को ही है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस न्यायालय को हस्तगत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न हो। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषणानुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11, 151 सीपीसी तथा धारा 11 राजस्थान न्यायशुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश :

18— परिणामतः **प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04** की ओर से दावे और टी.आई. में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11, धारा 151 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 अस्वीकर कर खारिज किए जाते हैं। उक्त आदेश की प्रतियां दावे व टीआई में पृथक—पृथक संलग्न की जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01,
नागौर।

19— आदेश आज दिनांक **06.01.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01,
नागौर।